न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारेठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 05/2020

उनवान :

नरेश कुमार पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सरिता पुत्री भूपसिंह पत्नी सुधीर जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी भिरानी हाल माखोश्योराणी तहसील व जिला सिरसा।
3. बैंक एस.बी.आई. शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 12-03-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम भिरानी की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता सं0 396/385 के मु0नं0 445 के किला नं0 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 446 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 2 की 0.202 है0, किला नं0 3/1 की 0.025 है0, किला नं0 3/2 की 0.127 है0, किला नं0 4 ता 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं0 7/1 की 0.127 है0, किला नं0 7/2 की 0.025 है, किला नं0 8 की 0.202 है0, किला नं0 9 ता 13 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 14 की 0.202 है0, किला नं0 15/1 की 0.013 है0, किला नं0 15/2 की 0.126 है0, किला नं0 16 की 0.202 है0, किला नं0 17 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 447 के किला नं0 1, 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 457 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 8.082 है0, बारानी में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी की ही जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता सं0 397/386 [illegible] किला नं0 11 की 0.253 है0, किला नं0 20/1 की 0.127 है0, किला नं0 20/2 [illegible] 0.013 है0, किला नं0 21 की 0.203 है0, मु0नं0 456 के किला [illegible] गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है0 कुल 0.849 है0 बारानी 0.836 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह को वादी के दादा मोलूराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो गांव भिरानी की जमाबन्दी भूमि एकीकरण सम्वत् 2016 के खाता सं0 151 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/6 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान में पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी को उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी सं0 1 को 1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है इसी अनुसार काश्त करते चलते आ रहे है और प्रतिवादिया सं0 2 सरिता वादी की बहिन है जो शादीशुदा है और अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपना हक हिस्सा वादी के हक में तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया और प्रतिवादी सं0 3 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी नरेश कुमार के ब्यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी गांव भिरानी सम्वत् 2074–2077 खाता सं0 396/385 व 397/386 प्रदर्श 1 व 2 व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम भिरानी चक भिरानी सम्वत 2016 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । हस्तगत वाद, वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है वादी ने अपने दावा में कथन किया है कि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह को वादी के दादा मोलूराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने ग्राम भिरानी की जमाबन्दी एकीकरण सम्वत 2016 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये है जिससे वाद भूमि वादी के दादा मौला पि0गु0 शौभा के नाम दर्ज है जिससे [illegible] दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्र[illegible] [illegible] पत्नी [illegible] देवी, एक पुत्री सरिता, एक पुत्र नरेश कुमार [illegible] वारिस नहीं होना अंकित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये ज[illegible]योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भिरानी की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता सं0 396/385 के मु0 नं0 445 के किला नं0 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 446 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 2 की 0.202 है0, किला नं0 3/1 की 0.025 है0, किला नं0 3/2 की 0.127 है0, किला नं0 4 ता 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं0 7/1 की 0.127 है0, किला नं0 7/2 की 0.025 है, किला नं0 8 की 0.202 है0, किला नं0 9 ता 13 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 14 की 0.202 है0, किला नं0 15/1 की 0.013 है0, किला नं0 15/2 की 0.126 है0, किला नं0 16 की 0.202 है0, किला नं0 17 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 447 के किला नं0 1, 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 457 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 8.082 है0, बारानी में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार ग्राम भिरानी के ही खाता सं0 397/386 के मु0 नं0 447 के किला नं0 11 की 0.253 है0, किला नं0 20/1 की 0.127 है0, किला नं0 20/2 की 0.013 है0, किला नं0 21 की 0.203 है0, मु0नं0 456 के किला नं0 1 की 0.253 है0, बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है0 कुल 0.849 है0, बारानी 0.836 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है उपरोक्त वर्णित दोनों खातों में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के बजाय वादी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-03-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:15 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 05/2020

अनवान :

नरेश कुमार पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

- वादी

बनाम

1. भूपसिह पुत्र मोलूराम जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. सरिता पुत्री भूपसिंह पत्नी सुधीर जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी भिरानी हाल माखोश्योराणी तहसील व जिला सिरसा
3. बैंक एस.बी.आई. शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भिरानी की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता सं0 396/385 के मु0 नं0 445 के किला नं0 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 446 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 2 की 0.202 है0, किला नं0 3/1 की 0.025 है0, किला नं0 3/2 की 0.127 है0, किला नं0 4 ता 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं0 7/1 की 0.127 है0, किला नं0 7/2 की 0.025 है, किला नं0 8 की 0.202 है0, किला नं0 9 ता 13 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 14 की 0.202 है0, किला नं0 15/1 की 0.013 है0, किला नं0 15/2 की 0.126 है0, किला नं0 16 की 0.202 है0, किला नं0 17 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 447 के किला नं0 1, 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0नं0 457 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 8.082 है0, बारानी में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार ग्राम भिरानी के ही खाता सं0 397/386 के मु0 नं0 447 के किला नं0 11 की 0.253 है0, किला नं0 20/1 की 0.127 है0, किला नं0 20/2 की 0.013 है0, किला नं0 21 की 0.203 है0, मु0नं0 456 के किला नं0 1 की 0.253 है0, बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है0 कुल 0.849 है0, बारानी 0.836 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है उपरोक्त वर्णित दोनों खातों में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के बजाय वादी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने उक्त वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा [illegible] पक्ष अपना-अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner